गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल) : (क) से (ग) : 12-5-1978 को एम० एवेन्यु पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक अधिकारी के पुत्र को एक जीप ने टक्कर मार कर गिरा दिया था। उसको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 15-5-78 को चोटों के कारण उस की मृत्यु हो गई थी। भा०द०सं० 279/304-ए के अन्तर्गत एक मामला एफ० आई० आर० 406/पुलिस थाना आर० के० पुरम में दर्ज किया गया था। दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त जीप को 15-5-78 को खोज लिया गया था और ड्राईवर ने 16-5-78 को आत्मसमर्पण कर दिया था। दो अन्य व्यक्तियों को भी जो जीप में यात्रा कर रहे थे 201/202/279/304-ए० के अन्तर्गत 16-5-78 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब तक की गई जांच से किसी घोखा धड़ी का पता नहीं लगता है।

Compensation Claimed by Elgin Mills Kanpur

586. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the proprietors of the Elgin Mills, Kanpur have claimed compensation from the Insurance Companies for 650 cotton bales which were stated to have caught fire on the 11th-12 May, 1978;

(b) whether the claim has been prepared by them for 650 bales while there number was less; and

(c) if so, whether the matter will be investigated and the estimated loss suffered on this account?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b). An assessment of the damage to stocks of cotton as a result of fire in Elgin Mills during the night of 11-12th May, 1978 showed that 685 bales of cotton had been affected. The value of cotton was placed at Rs. 11,09,000. The surveyors of the insurance company namely, Oriental General Insurance Company assessed the loss at 47.5 per cent of the value of cotton, on the basis that the remaining 52.5 per cent of the stocks could be salvaged. It is on that basis that the mill management has filed with the insurance company a claim for Rs. 5,26,890. It is not correct that claim has been filed for the full value of 685 bales which were affected by fire.

(c) Does not arise.

आकाशवाणी में नियमित नियुक्तियां

587. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 22 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4050 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तदर्थ नियुक्तियों के बारे में जो आश्वासन उक्त प्रश्न के उत्तर में दिया गया था, उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) जो व्यक्ति तदर्थ रुप में कार्य कर रहे हैं उन को नियमित न करने या उनके स्थान पर नियमित नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं;

(ग) यद्यपि एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, तो भी बार-बार इस सम्बन्ध में पूछे जाने और आश्वासन दिये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2412/78] केन्द्रीय सूचना सेवा के पदों और समूह 'ग' और 'घ' के पदों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ख) से (घ). जैसा कि विवरण के कालम 5 में दी गई सूचना से पता चलेगा, कुछ नियुक्तियों को न्यायालय मामलों के निपटान होने तक तदर्थ माना जा रहा है। कुछ पदों के मामले में, नियमित नियुक्तियां करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें बुलाने के लिए कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। शेष मामलों म, विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें हो चुकी हैं और नियमित नियुक्तियां शीघ्र ही किए जाने की उम्मीद है या मामले भर्ती नियमों में संशोधन होने तक लम्बित हैं। जब कि इन नियुक्तियों को नियमित आधार पर यथा शीघ्र करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं तो भी कोई समय सीमा निश्चित करना संभव नहीं है।

वर्गीज समिति के प्रतिवेदन की क्रियान्विति

588. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्गीज समिति के प्रतिवेदन पर निकट भविष्य में कार्यवाही की जायगी;

(ख) क्या वर्गीज समिति ने आकाशवाणी में एक ही संवर्ग की सिफारिश की है जिससे अनुबन्ध पर काम करने वाले प्रोड्यूसर और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तथा ए०एस० डी० म [illegible] खींचातानी रहती है वह दूर हो सके;

(ग) यदि हां, तो नियमित अधिकारियों यथा केन्द्र निदेशक आदि की विभागीय पदोन्नतियां करने के क्या कारण हैं;

(घ) नए पद बना कर प्रोड्यूसरों को, जो विशेषज्ञ होते हैं, विभागीय पदोन्नतियां न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार नियमित अधिकारियों की विभागीय पदोन्नतियां रोक कर प्रोड्यूसरों को तत्काल पदोन्नतियां देने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) से (ङ). वर्गीज समिति की रिपोर्ट, जो सरकार के विचाराधीन है, में पांच अलग संवर्गों की सिफारिश की गई है और उस में अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया गया है कि स्टाफ आर्टिस्ट प्रस्तावित 'आकाश भारती' के नियमित कर्मचारी बनाए जाएं जब तक उन निर्णयों, जो वर्गीज समिति की रिपोर्ट पर लिए जाएं, की रोशनी में वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक खाली स्थानों को वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाना है। प्रोड्यूसरों को मात्र विभागीय पदोन्नतियां देने के लिए नए पदों का सृजन करना संभव नहीं होगा। नियमित वरिष्ठ प्रशासनिक पदों को खाली रखना भी काम के हित में नहीं होगा। किसी भी स्थिति में, नियमित अधिकारियों की पदोन्नतियों को रोकने मात्र से प्रोड्यूसरों को पदोन्नतियां नहीं मिल सकेंगी।